

दिनांक : 05.07.2017

सेवा में,

माननीय राष्ट्रपति महोदय
राष्ट्रपति भवन
नई दिल्ली - 110 004

विषय: कलम 190/200 फौजदारी प्रक्रिया कोड के तहत फरियाद

फरियादी : मुकेश ठाकुर (लुधियाना जेल से)
निवासी: मकान नंबर 14060, गली नं. 2, राम नगर,
टिब्बा रोड, लुधियाना, पंजाब - 141007

विरुद्ध

आरोपी नं. 1 : अमृतपाल सिंह उर्फ विक्री
निवासी: मकान नंबर 14047, गली नंबर 2,
मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना
मोब. 998888 - 50660

आरोपी नं. 2 : सुखदेव सिंह
निवासी: मकान नंबर 14047, गली नंबर 2,
मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना
मोब. 988888 - 99908

आरोपी नं. 3 : [REDACTED] कौर पुत्री जोगिंदर सिंह
(आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्री और सुखदेव सिंह की बहन)
निवासी: मकान नंबर 14047, गली नंबर 2,
मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना
मोब. 99146 34353

आरोपी नं. 4 : स्वर्ण सिंह A.S.I. (P.S. बस्ती जोधेवाल, लुधियाना)

आरोपी नं. 5 : इंसपेक्टर गुस्विंदर सिंह SHO
विजय कुमार SHO (P.S. बस्ती जोधेवाल, लुधियाना)
मोब. 7837018615

आरोपी नं. 6 : सचिन गुप्ता ACP/North, लुधियाना

आरोपी नं. 7 : दीपक शर्मा SHO

हरजिन्दर सिंह SHO (P.S. डिवीज़न नं. 1, लुधियाना)

मोब. 7837018601

मैं मुकेश ठाकुर पुत्र इंद्रकांत ठाकुर (पता: 14060, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना, पंजाब - 141007) हूँ। मैं और पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद (पता: मकान नं. 14119, गली नं. 2, टिब्बा रोड, लुधियाना के ऊपर झूठी F.I.R. 236/2017 दिनांक 23.06.2017 के दिन IPC u/s 384, 420, 511, 500, 120(बी), 34 के तहत दर्ज की गई है, पूरा मामला निम्नानुसार है:

1. फरयादी के पास पीड़ित शिकायत लेकर आया कि, पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद ने दिनांक 01.05.2017 को जब देखा कि उसके खाते से 11861 रुपए गैर - कानूनी तरीके से निकाल लिए गए तो पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद द्वारा इस गैर - कानूनी तरीके से निकाले गये रुपये की शिकायत दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई जिसका शिकायत नं. 1088928 (559 - 5c) है मगर कोई कार्यवाही नहीं हुई फिर NGO के सहयोग से Paytm के ऑफिस (नोएडा) में जाकर गैर - कानूनी तरीके से निकाली गई रकम के ट्रांजेक्शन के बारे में जानकारी मांगी गई जिसके मिलने के बाद पीड़ित उसे लेकर वापस पुलिस थाने बस्ती जोधेवाल गया और नई शिकायत दी मगर पुरानी शिकायत दी जाने के वजह से नई शिकायत नहीं ली गई जिसके बाद पुलिस कमिश्नर लुधियाना को नई शिकायत पीड़ित लकी उर्फ जयहिंद द्वारा दि. 22/05/2017 को दी गई जिसका नं. 114070 है।
2. जब देखा की शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है तो बैंक जाकर जिस बैंक खाते नंबर में पैसा गैरकानूनी तरीके से लिया गया था उसके नाम व पते की जानकारी बैंक मैनेजर से मांगी गई, काफी समझाने के बाद जाकर मैनेजर ने खाताधारक का नाम व पता बताया जिससे पता चला कि यह अमृतपाल सिंह उर्फ विकी है। जब अमृतपाल सिंह उर्फ विकी (मोब. 99888 - 50660 पता: मकान नं. 14047, गली नं. 2, राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना) से इस मामले में पूछा गया तो वह साफ मुकरने लगा पर जब सारे सबूत दिखाए तो वह यह देख कर समझ गया कि, 'मैं फंस गया हूँ' तो उसने अपने इंस्पेक्टर भाई सुखदेव सिंह (जो पंजाब सरकार के अधीन फूड एंड सप्लाय विभाग, बटाला (गुरदासपुर) में बतौर इंस्पेक्टर तैनात है) को बुलाकर धमकियां देने की कोशिश की मगर संगठन का उसूल है कि, 'अपराध खत्म करना है ना कि अपराधी को' अगर कोई अपराधी गलती से या नासमझी और बहकावे में गुमराह होते हुये कोई जुर्म कर बैठता है तो परिस्थिती को

समझते हुए उससे स्टैम्प पेपर पर माफीनामा लिखवाते हुए मूल नुकसान की भरपाई होने वाले खर्च के साथ जोड़ कर ले ली जाए जिससे आरोपी अपराध करने के बारे में दुबारा ना सोचे जिसकी स्टैम्प पेपर पर पूरी लिखा - पढ़ी की जाती है। जैसा कि संगठन द्वारा अन्य मामलों में किया जाता है (उदाहरण के रूप में दो माफीनामा दिया जा रहा है)।

3. मगर यहाँ पर अपराधी, बनाम अमृतपाल सिंह उर्फ विक्री और उसका भाई सुखदेव सिंह अपराध करने के बाद भी पीड़ित को धमकियां दे रहा था और गुंडागर्दी करने की कोशिश कर रहा था जब संगठन द्वारा राजीनामा के समय पैसों की अपेक्षा आरोपी के बैंक स्टेटमेंट के बारे में ही बात की गई, ताकि अपराधी ने ऐसा छल - कपट करके कितने लोगों को लूटा उसका पता चल सके लेकिन बैंक स्टेटमेंट नहीं दिया गया (जिससे अगर किसी और के साथ धोखाधड़ी की गई हो तो यह मामला सीधे पुलिस स्टेशन में दिया जाए अन्यथा पहला अपराध समझ कर माफ करते हुये पीड़ित के हुये खर्च को मिलाकर पीड़ित के साथ की गई धोखाधड़ी की रकम दी जाए) मगर बैंक स्टेटमेंट का नाम लेते ही पीड़ित के भाई द्वारा धमकियां दी जाने लगी और कहा गया कि, "मैं कमिश्नर के साथ बैठकर दारु पीता हूँ और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, अतः मैं यह 40,000 देता हूँ और जल्द ही बैंक स्टेटमेंट भी दे दूंगा" कह कर उसने रु. 20,000/- तुरंत दिए और बाद में ध्यान रखने के लिये उसके द्वारा सादे कागज पर पंजाबी में लिखकर लिया गया और यह कहकर चले गए कि, बैंक स्टेटमेंट लेकर आते हैं क्योंकि संगठन द्वारा स्टैम्प पेपर पर ही आरोपी का राजीनामा/माफीनामा लिखवा कर लिया जाता है इसलिये कागज पर केवल रकम प्राप्ति से संबंधित ही लिखा गया था जिससे बाद में पूर्ण विवरण के साथ स्टैम्प पेपर पर लिखा जा सके।
4. जब देखा कि, आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्री और उसका भाई सुखदेव सिंह बैंक स्टेटमेंट लेकर नहीं आये तो यह सिद्ध हो गया कि, आरोपी अपने वादे से मुकर गये हैं जिसकी वजह से संगठन वह राजीनामा जो स्टैम्प पेपर पर बनावाया जाना था वह नहीं बनवा पाया 'ज्ञात रहे कि संगठन अपने पास आये किसी भी मामले को बंद करने से पहले दोषी से माफीनामा लिखवा कर अवश्य लेता है'। आरोपियों द्वारा बैंक स्टेटमेंट नहीं देना यह प्रमाणित करता था कि, आरोपियों द्वारा कई लोगों के साथ छल - कपट करके धोखाधड़ी की गई है और बैंक स्टेटमेंट से आरोपी के अन्य अपराध भी उजागर हो जाते। अतः हमारे लिए अपराधी द्वारा भविष्य में किये जाने वाले अन्य अपराधों को रोकने के लिए इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस को देना जरूरी हो गया था जिससे पुलिस आवश्यक कार्यवाही करे और अपराधी को सजा दे सके साथ ही यह वजह भी हमें पुलिस को जानकारी देने के लिये मजबूर कर रही थी क्योंकि अपराधी के भाई द्वारा धमकियां देते हुए यह कहा गया था कि,

"मैं कमिश्नर के साथ बैठकर दारू पीता हूँ मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैंने अभी मकान खरीदा है जो मूल कीमत से भी 50 हजार अधिक देकर खरीदा है" इस प्रकार की धमकियाँ अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्री व उसके भाई सुखदेव सिंह की मानसिकता को पूरी तरह आपराधिक दिखा रही थी, अमृतपाल उर्फ विक्री सबूतों के बिनाह पर अपराधी साबित हो ही रहा था साथ ही उसके भाई सुखदेव सिंह द्वारा हमें दी गई धमकियाँ साफ - साफ उसकी आपराधिक मानसिकता व भ्रष्टाचार को दर्शा रही थीं, इस तरह पुलिस के साथ मिलकर षडयंत्र रचा गया।

5. अपराधियों ने Paytm से गैर - कानूनी तरीके से कई लोगों की रकम निकाली हो सकती है अतः इसकी जाँच करवाना अति आवश्यक है। हमारी शिकायत पहले ही सबूतों के साथ दिए जाने के बावजूद FIR दर्ज न करना पुलिस स्टेशन के भ्रष्टाचार को साफ - साफ दर्शा रहा है अतः मेरी शिकायत ली जाए और उसपर उचित धाराओं के साथ FIR दर्ज करके कार्यवाही की जाये।
6. आरोपियों द्वारा यह धमकी भी दी गई थी कि, 'वे लड़की के द्वारा हमें फसाँयेगे' जिसको आरोपियों ने अपनी बहन का इस्तेमाल करके व झूठा आरोप लगाकर साबित भी कर दिया। यह मामला डिवीजन नं. 1 (कोतवाली थाने) में दिनांक 21.06.2017 को दर्ज हुआ जो केवल शिकायत व मैडिकल रिपोर्ट के आधार पर बना दिया गया जबकि घटनास्थल थाने से 5 मिनट की दूरी पर ही है मगर जाँच अधिकारी ने घटना स्थल पर पहुंच कर आवश्यक प्राथमिक जानकारी लिए बिना ही हम लोगों को रात भर हवालात में रखा जिसके बाद हमें दूसरे दिन जमानत लेनी पड़ी। इस तरह Whistle Blower Act का भी उल्लंघन किया और झूठे केस में फँसाया गया।
7. डिवीजन नं. 1 (कोतवाली थाने) में हम पर दर्ज झूठे मामले में [REDACTED] कौर पुत्री जोगिंदर सिंह (आरोपी अमृतपाल सिंह उर्फ विक्री और सुखदेव सिंह की बहन, निवासी: मकान नंबर 14047, गली नंबर 2, मोहल्ला राम नगर, टिब्बा रोड, लुधियाना), दर्ज शिकायत पर एक जाँच अधिकारी हल्की सी भी नजर डालेगा तो वह केवल मैडिको लीगल रिपोर्ट और बयान को पढ़ कर ही इस शिकायत को झूठा करार दे देगा क्योंकि दोनों एक - दूसरे के विपरीत हैं मैडिको लीगल रिपोर्ट में साफ - साफ लिखा है कि खून नहीं निकला जबकि शिकायत में दर्ज किया गया है कि, तेज़ धारदार हथियार से मारा गया व खून निकला। मैडिको लीगल रिपोर्ट में शरीर पर दो जगह हमला हुआ है, ऐसा बताया जा रहा है,
 - a. सामने से दाहिने तरफ के कान पर हमला, ऐसा नजर आ रहा है
 - b. पीछे से बायें कंधे पर हमला किया गया, ऐसा नजर आ रहा है

- c. जबकि शिकायतकर्ता के बयान में केवल पीछे से एक ही बार हमला किया गया दर्ज है।
8. यह मामला भी पूरी तरीके से फर्जी है क्योंकि उस वक्त मैं अपने ऑफिस में 9:30am से मौजूद था जिसकी गवाही मेरी कंपनी के मालिक ने भी पुलिस थाने में दी थी मगर जाँच अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की आवश्यक प्राथमिक जांच किए बिना मामला दर्ज करते हुये हमें हवालात में बंद किया गया जबकि लकी उर्फ जयहिंद उस वक्त (लगभग 11.00 बजे से 1.00 बजे तक) Nauhria's Multispeciality Hospital (पता: HIG - 452, जमालपुर कॉलोनी, लुधियाना मोब. 98140 - 22165, 98140 - 22798), में मेरी मम्मी चंद्रकला ठाकुर की इलाज के लिये मेरी मम्मी व बहन नीलम झा के साथ मौजूद था जिसकी पुष्टि करने के लिये जमालपुरा अस्पताल से दिनांक 21.06.2017 को 11.00 बजे से 1.00 बजे के बीच की CCTV फुटेज देखकर की जा सकती है। ज्ञात हो कि, यह मामला डॉ. रिनी जोहर मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिये गए निर्देशों का भी उल्लंघन है।
- नोट: a. तुरंत ही Nauhria's Multispeciality Hospital से दिनांक 21.06.2017 को 11.00am बजे से 1.00am बजे तक के CCTV फुटेज सील करवाने की व्यवस्था करवाई जाये जिससे पीड़ित को निर्दोष साबित करनेवाला महत्वपूर्ण सबूत नष्ट ना हो सके।
- b. घटना वाले दिन दिनांक 21.06.2017 को 11.00 बजे से 1.00am बजे तक का 'रेकी सिनेमा व बैंक ऑफ इंडिया (ज़ोनल ब्रांच) से लेकर पुरानी कचहरी की ओर जाने वाले ब्रिज' पर चढ़ते समय वाली जगह पर लगे दोनों सरकारी कैमरों की CCTV फुटेज ली जाये साथ ही ब्रिज खत्म होते समय के भी सभी सरकारी कैमरों की CCTV फुटेज सील करवा ली जाये।
9. यह पूरा मामला भ्रष्टाचार व धोखाधड़ी से संबंधित है जो प्रधानमंत्री मोदी के कैशलेस स्कीम पर भी कुठाराघात कर रहा है क्योंकि यह सभी अपराध एक दूसरे से जुड़े हुए हैं अतः मैं चाहता हूँ कि एक विशेष पुलिस जाँच टीम का गठन करते हुये इस पूरे मामले की जाँच की जाये जिससे दोषी पुलिस कर्मचारियों व अपराधियों को सजा मिला सके। इस मामले में अपराधी अमृतपाल सिंह उर्फ विकी के बैंक स्टेटमेंट के आधार पर अन्य अपराधों की जाँच तो की ही जाये साथ ही आरोपी के धमकी देने वाले इंस्पेक्टर भाई सुखदेव सिंह का फॉरेंसिक ऑडिट करवाते हुये उसके सभी बैंक खातों के साथ-साथ खरीदी गई संपत्तियों की भी जाँच करवाई

जाये जिससे अगर धमकी देने वाला इंस्पेक्टर भाई सुखदेव सिंह भ्रष्टाचारी व गुन्हागार साबित हो तो उसको सजा दी जा सके।

10. फरयादी को झूठे केस में फँसाने के लिये पुलिस के साथ मिलकर झूठा केस किया गया परिणामस्वरूप निम्नलिखित तौर से परेशान किया गया:

- मैजिस्ट्रेट ने भी पुलिस से कोई शिकायत है की नहीं, ये भी नहीं पूछा
- ज्युडिशियल कस्टडी के आदेश के बाद फूड इंस्पेक्टर सुखदेव सिंह के कहने से पुलिस ने फरयादी व पीड़ित को गैरकानूनी तरीके से हथकड़ी लगाकर मोहल्ले में बदनामी करने हेतु व सुखदेव सिंह की दहशत कायम करने हेतु घुमाया।
- पीड़ित के कार्यालय से CCTV कैमरा व उससे संबंधित पार्ट्स (जैसे DVR व Hard Disk आदि) व प्रिंटर भी ले गये और कोई पंचनामा भी नहीं किया।
- जमानत अर्जी गैर - कानूनी तौर पर रद्द की परिणामस्वरूप फरयादी व पीड़ित बेगुनाह होकर भी जेल में है।
- डी.के. बासु केस की गार्ड लाईन्स का भी पालन नहीं किया गया

इन सभी तरीके से गैरकानूनी षडयंत्र किया गया

जरूरत पड़ने पर व सच्चाई उजागर करने के लिये हमारा नार्को टेस्ट लिया जा सकता है जिसका खर्चा भी हम लोग मकान बेचकर या 'जैसे भी होगा' करेंगे मगर आरोपियों के अपराध सिद्ध होने पर नार्को टेस्ट में हुआ खर्चा हमें वापस दिलवाना होगा।

पुलिस ने गुटबाजी करते हुये योजनाबद्ध तरीके से झूठा केस बनाया और गैर - कानूनी तरीके से डी.के. बासु की गार्डलाइन के विपरीत काम किया इसलिये उनके विरुद्ध भी जाँच की जाये।

हमारे संगठन द्वारा अन्य मामलों में किए गए राजीनामा के उदाहरण भी साथ में संलग्न है।



मुकेश ठाकुर

(लुधियाना जेल से)

संलग्न दस्तावेज़:

1.	पीड़ित द्वारा दि. 3/5/2017 को ए.सी.पी. ऑफिस में दी गई शिकायत नं. 1088928 (559 - 5c)	1 - 1
----	---	-------

2.	पीड़ित द्वारा दि. 22/05/2017 को पुलिस कमिश्नर, लुधियाना को दी गई शिकायत नं. 114070	2 - 2
3.	संगठन 'भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान' द्वारा पीड़ित के मामले में भेजे गये शिकायत - पत्र	3 - 7
4.	पीड़ित का शपथ - पत्र	8 - 11
5.	पीड़ित द्वारा 'Paytm' के नोयडा ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़	12 - 12
6.	पीड़ित द्वारा 'बैंक ऑफ बडौदा' ऑफिस से ली गई जानकारी का दस्तावेज़	13 - 13
7.	पीड़ित के 'Paytm' खाते से आरोपी द्वारा रकम लूट लिये जाने का 'Snapshot'	14 - 15
8.	पीड़ित द्वारा पासपोर्ट आवेदन की कॉपी	16 - 18
9.	संगठन 'भ्रष्टाचार विरुद्ध जागृति अभियान' द्वारा पीड़ित के मामले में भेजे गये शिकायत - पत्र की रसीदें	19 - 19
10.	सायबर क्राईम को ईमेल से भेजी गई शिकायत की 'Snapshot'	20 - 20
11.	आरोपियों के द्वारा स्टैम्प पेपर पर बनाये जाने वाले राजीनामा से पहले दी गई रकम की पंजाबी में बनाई गई कच्ची लिखा - पढ़ी	21 - 21
12.	संगठन द्वारा अन्य मामलों में बनाया गया माफीनामा	22 - 28
13.	आरोपियों (अमृतपाल सिंह और सुखदेव सिंह) की बहन [REDACTED] कौर द्वारा पीड़ित पर झूठा आरोप लगाकर डिविजन नं. 1 में दर्ज की गई F.I.R. की कॉपी व मैडिको लीगल रिपोर्ट	29 - 41
14.	आरोपियों (अमृतपाल सिंह और सुखदेव सिंह) की तरफ से बस्ती जोधवाल में झूठा आरोप लगाकर दर्ज की गई F.I.R. की कॉपी	42 - 50
15.	आरोपियों के खिलाफ उठाये गये मामले पर आरोपियों के बिगडैल व आवारा दोस्तों द्वारा अभद्र भाषा में फेसबुक पोस्ट पर की गई टिप्पणी का 'Snapshot'	51 - 53

प्रतिलिपी:

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. माननीय राष्ट्रपति महोदय | 7. पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय |
| 2. माननीय उच्चतम न्यायालय | 8. लोकायुक्त, पंजाब |
| 3. माननीय प्रधानमंत्री महोदय | 9. पुलिस महानिदेशक (DGP) |
| 4. माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश | 10. पुलिस कमिश्नर, लुधियाना |
| 5. माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (JMJC) | 11. केन्द्र सर्तकता आयोग (CVC) |
| 6. भारत का विधी आयोग | 12. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग |

RL IND COL (141003)
RL A RP691331037IN
Counter No:1, CP-Code:02
To: COMMISSIONER OF POLICE
LUDH, PIN:141001
From: NIKESH THAKUR, LUDH
Wt: 310grams,
Amt: 97.00, 11/07/2017, 12:00
<<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL IND COL (141003)
RL A RP691331045IN
Counter No:1, CP-Code:02
To: JUSTICE S K MITTAL, LOKPAL PB
CHANDIGARH, PIN:160017
From: NIKESH THAKUR, LUDH
Wt: 310grams,
Amt: 97.00, 11/07/2017, 12:01
<<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL RASTIJOHNEWAL <141007>
 RL A RP631317214IN
 Counter No:1, CP-Code:RU BY
 To:PR ALF HARYAN NCHH,
 High Court S.O., PIN:160001
 From:MUKESH THAKUR, LHM
 Wt:300grams,
 Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:14
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL RASTIJOHNEWAL <141007>
 RL A RP631317231IN
 Counter No:1, CP-Code:RU BY
 To:PH, SOUTH BLOCK
 NEW DELHI, PIN:110011
 From:MUKESH THAKUR, LHM
 Wt:300grams,
 Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:15
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL RASTIJOHNEWAL <141007>
 RL A RP631317259IN
 Counter No:1, CP-Code:RU BY
 To:DP, PR POLICE HEAD QUARTERS
 Sector 9 (Chandigarh) S.O., PIN:160009
 From:MUKESH THAKUR, LHM
 Wt:300grams,
 Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:16
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL RASTIJOHNEWAL <141007>
 RL A RP631317355IN
 Counter No:1, CP-Code:RU BY
 To:PRESIDENT, RASHTRAPATI BHAWAN
 Rashtrapati Bhawan S.O., PIN:110004
 From:MUKESH THAKUR, LHM
 Wt:300grams,
 Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:16
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL RASTIJOHNEWAL <141007>
 RL A RP631317364IN
 Counter No:1, CP-Code:RU BY
 To:ZILA JMC MUM HARYAN,
 Ludhiana H.O., PIN:141001
 From:MUKESH THAKUR, LHM
 Wt:300grams,
 Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:17
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL RASTIJOHNEWAL <141007>
 RL A RP631317347IN
 Counter No:1, CP-Code:RU BY
 To:CHIEF JUSTICE, HIGH COURT
 NEW DELHI, PIN:110021
 From:MUKESH THAKUR, LHM
 Wt:300grams,
 Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:18
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL RASTIJOHNEWAL <141007>
 RL A RP631317245IN
 Counter No:1, CP-Code:RU BY
 To:ZILA ALF SATAR HARYAN, NEW COURT COMPLEX
 Ludhiana H.O., PIN:141001
 From:MUKESH THAKUR, LHM
 Wt:300grams,
 Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:19
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL RASTIJOHNEWAL <141007>
 RL A RP631317228IN
 Counter No:1, CP-Code:RU BY
 To:RASHTRAPATI BHAWAN, RASHTRAPATI BHAWAN
 NEW DELHI, PIN:110023
 From:MUKESH THAKUR, LHM
 Wt:300grams,
 Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:20
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL RASTIJOHNEWAL <141007>
 RL A RP631317378IN
 Counter No:1, CP-Code:RU BY
 To:ADMEYAKH, BHARAT KA VINHI AYOG
 NEW DELHI, PIN:110001
 From:MUKESH THAKUR, LHM
 Wt:300grams,
 Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:21
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>



RL RASTIJOHNEWAL <141007>
 RL A RP631317333IN
 Counter No:1, CP-Code:RU BY
 To:CVC, A BLOCK
 NEW DELHI, PIN:110023
 From:MUKESH THAKUR, LHM
 Wt:300grams,
 Amt:92.00 ,05/07/2017 ,14:22
 <<Track on www.indiapost.gov.in>>

